राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
63वीं बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2017
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 63वीं बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, श्री सुचिन्द्र मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन, श्री दिलीप जावलकर, सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन एवं शासकीय विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के उच्चाधिकारियों तथा समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों / बीमा कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में कार्यसूची के अनुरुप निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी :

1. <u>बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करना</u> :

बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने के संदर्भ में अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोग हेतु पूर्व में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था एवं नए जारी शासनादेश के अनुरुप ऋण का प्रभार एवं ऋण मुक्त करने के लिए राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में ऑन-लाइन दर्ज किए जाने हेतु ऋणी से ₹ 50.00 लेकर पंजीकृत भूलेख प्रबंधन एवं अनुरक्षण समिति के बैंक खाते में जमा किया जाना है। इस पर सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन से इस विषयक औपचारिक पत्र जारी किए जाने का अनुरोध किया गया। अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा आश्वस्त किया कि उनके विभाग द्वारा औपचारिक पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2017 तक जारी कर दिया जाएगा।

2. <u>वसूली प्रमाण पत्र का ऑन-लाइन फाईलिंग</u> :

बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों के ऑन-लाइन फाईलिंग करने के संदर्भ में अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संबंधित वेब एप्लीकेशन को बैंकों के उपयोग हेतु यथाशीघ्र ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों का जिला / तहसील स्तर से दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक मिलान कराकर, इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही राजस्व विभाग को भी निर्देशित किया गया कि वे जिलाधिकारियों से लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों के मिलान की प्रगति रिपोर्ट मंगाएं जिससे इस विषय में प्रभावी निगरानी की जा सके।

3. <u>आरसेटी</u> :

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु समुचित निर्देश जारी करें। इस क्रम में उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, देहरादून द्वारा स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी से आग्रह किया गया कि वे बैंकवार / शाखावार आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूची बैंक नियंत्रकों के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनके स्तर से भी बैंक नियंत्रकों को सूचित किया जा सके। साथ ही आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का बैंकवार विवरण भी प्रस्तुत करें।

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी को निर्देशित किया गया कि वे आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या एवं उनके नियोजन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट सूचनार्थ **Skill Development Mission** को भी उपलब्ध कराएं।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा देहरादून, टिहरी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ जिलों के आरसेटी संस्थान को आवंटित भूमि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का जिक्र करते हुए सदन को अवगत कराया गया कि पिथौरागढ़ आरसेटी संस्थान से संबंधित समस्या हल हो गई है, किंतु शेष तीन आरसेटी संस्थानों की भूमि संबंधी समस्या का निराकरण किया जाना अभी लम्बित है।

4. <u>वार्षिक ऋण योजना</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा वार्षिक ऋण योजना के तहत सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 40% से कम प्रगति दर्ज करने वाले बैंकों यथा सहकारी बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, यूको बैंक एवं इण्डियन ओवरसीज बैंक को निर्देशित किया गया कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष बचे चार महीनों में उन्हें आवंटित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु ऋण वितरण की **माहवार कार्ययोजना (Action Plan)** बनाकर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं एवं विषय को गम्भीरता से लेते हुए उपरोक्त कार्ययोजना के अनुरुप ऋण वितरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया कि ऐसे सभी बैंक जिनके द्वारा वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत संतोषजनक प्रगति दर्ज नहीं की गयी है, को सीधे पत्र द्वारा निर्देशित किया जाए।

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग को निर्देशित किया गया कि वे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्र प्राप्त कर संबंधित बैंक शाखाओं को प्रेषित करें, जिससे कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि चूँकि कृषि क्षेत्र में दीर्घावधि ऋण प्रदान करने पर बैंकों को आयकर के अंतर्गत राहत मिलती है, अत: सभी बैंक इस सेक्टर में अधिकाधिक ऋण वितरित करें। साथ ही उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को निर्देशित किया कि चूँकि नाबार्ड

द्वारा उन्हें Refinance Scheme के तहत 4.65% पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए Agriculture Term Loan के तहत उनके बैंक द्वारा अधिक से अधिक ऋण वितरित करना चाहिए।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि आगामी बैठकों के एजेण्डे में वार्षिक ऋण योजना के तहत प्रत्येक त्रैमास में दर्ज की गयी प्रगति को विगत वर्ष के समान त्रैमास में दर्ज की गयी प्रगति से तुलनात्मक रुप **(YoY)** में भी दर्शित करें। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे तृतीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 70% के अनुरुप वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आवंटित लक्ष्यों को सेक्टरवार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

5. <u>ऋण-जमा अनुपात</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा 40% से कम ऋण-जमा अनुपात वाले जिलों यथा बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं देहरादून के अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने जिले में क्षेत्रवार संभाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की कार्ययोजना तैयार कर, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में इस विषयक गठित उप-समिति की बैठक में व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत कार्ययोजना को क्रियान्वित कराएं, ताकि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि चूँकि बागेश्वर जिले का ऋण-जमा अनुपात राज्य में सबसे कम है, अत: वे इस जिले में ऋण कैम्पों का आयोजन कर ऋण वितरण की सार्थक कार्यवाही करें, जिससे जिले के ऋण-जमा अनुपात में वांछित प्रगति दर्ज की जा सके। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे जिला स्तरीय सलाहकार समिति / जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण समिति (डी.सी.सी. / डी.एल.आर.सी.) की बैठकों में उद्योग संघ के प्रतिनिधियों को भी समय-समय पर आमंत्रित करें तथा उद्योगों से संबंधित ऋणों को बढ़ावा देने हेतु सुझाव मांगे।

महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य का ऋण-जमा अनुपात 56% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए समस्त बैंकों को निर्देशित किया कि वे अधिकाधिक ऋण वितरण का सार्थक प्रयास करें, जिससे कि ऋण-जमा अनुपात में और वृद्धि दर्ज की जा सके। साथ ही सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे एस.एल.बी.सी. ऑन-लाइन डाटा को फीड करते समय इन्वेस्टमेन्ट के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य के सिक्योरिटीज एवं बॉण्ड में किए गए निवेश को ही दर्शित करें, जिससे कि राज्य के ऋण-जमा अनुपात की वास्तविक स्थिति परिलक्षित हो सके। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधकों को भी निर्देशित किया कि वे अपने जिले में **Credit intensity** एवं **Credit absorption capacity** की स्थिति का अध्ययन कर, वस्तुस्थिति के अनुरुप संभाव्यतायुक्त क्रियाकलापों के आधार पर ही वार्षिक ऋण योजना तैयार करें तथा आवश्यकतानुसार इस कार्य में भारतीय रिजर्व बैंक, उत्तराखंड शासन एवं अन्य रेखीय विभागों का भी सहयोग प्राप्त करें।

6. <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा राज्य में वी.-सैट लगाए जाने की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है, किंतु संबंधित बैंकों द्वारा अभी तक इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं की गयी है। उन्होंने संबंधित बैंकों को निर्देशित किया कि वे वी.-सैट लगाने के कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संज्ञान में लाया गया कि उनके बैंक द्वारा वी.-सैट के सारे आर्डर प्रेषित कर दिए गए हैं किंतु सी.एस.पी. न मिल पाने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस पर प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को सुझाव दिया गया कि ऐसी स्थिति में वे बैंक की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से राशन विक्रेता / सी.एस.सी. को सी.एस.पी. नियुक्त करते हुए इस कार्य को पूरा करने का प्रयास करें।

7. <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत दर्ज की गयी प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बैंकों को निर्देशित किया कि वे अवितरित रु-पे डेबिट कार्ड को यथाशीघ्र वितरित करना सुनिश्चित करें।

8. <u>बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन के कथन के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बैंक खातों में आधार सीडिंग 68% होना अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वे **धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (पीएमएल नियम 2005)** में किए गए संशोधन के अनुरुप सभी बैंक खातों को आधार से सत्यापित करने के कार्य को 31 दिसम्बर, 2017 तक अनिवार्यत: पूरा करना सुनिश्चित करें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि यद्यपि यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा प्रत्येक बैंक के दो-दो नोडल अधिकारियों को आधार पंजीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, किंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि आधार पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु चयनित प्रत्येक शाखा के दो-दो अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में उनके द्वारा सदन में उपस्थित यू.आई.डी.ए.आई. के प्रतिनिधि से आग्रह किया गया कि वे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को पत्र द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। बैंकों द्वारा शाखा स्तर पर आधार पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के विषय में पूछे जाने पर यू.आई.डी.ए.आई. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुरुप इसकी व्यवस्था बैंकों को स्वयं करनी है तथा संबंधित सॉफ्टवेयर यू.आई.डी.ए.आई. के स्तर से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप वे आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना एवं उनके संचालन के कार्य को यथाशीघ्र पूरा करें।

9. <u>सामाजिक सुरक्षाबीमा योजनाएं</u> :

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के अंतर्गत दर्ज की गयी प्रगति पर संतोष प्रकट किया गया। उन्होंने जुलाई-सितम्बर, 2017 त्रैमास में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति की प्रशंसा करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि वे इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को पंजीकृत करना सुनिश्चित करें।

10. <u>वित्तीय साक्षरता</u> :

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अप्रैल-सितम्बर, 2017 के दौरान बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता कैम्पों के माध्यम से जनसाधारण के बीच वित्तीय साक्षरता एवं नकद रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की गयी तथा निर्देशित किया गया कि वे आगे भी अधिक से अधिक वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

11. <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बैंकों को निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी, फलोरिकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरित करें तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना के तहत उन्हें आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाया गया कि जिलों की वार्षिक ऋण योजना (ए.सी.पी.) जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए पोटेन्शियल लिंक प्लान (पी.एल.पी.) के आधार पर तैयार की जाती है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के द्वारा तैयार किए गए पी.एल.पी. में किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र की अन्य अनुषंगी गतिविधियों यथा डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए विगत वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की गयी है या नहीं। ऐसा न होने की स्थिति में वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तैयार की जाने वाली जिला वार्षिक ऋण योजना किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जाए, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड के साथ कृषि क्षेत्र की अन्य अनुषंगी गतिविधियों यथा डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन आदि हेतु पर्याप्त लक्ष्य निर्धारित किए जाएं तथा वे इसकी पुष्टि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अनिवार्यत: प्रेषित करें।

उप महाप्रबंधक, नाबार्ड ने सदन को अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा 51 एफ.पी.ओ. (फार्मर प्रोग्रेसिव ऑर्गनाइजेशन), जिनमें 200 से 500 तक किसानों की सदस्यता है, का गठन किया गया है। इनमें से कुछ एफ.पी.ओ. द्वारा बैंक ऋण हेतु पात्रता प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी सूची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि बैंक पात्रता प्राप्त कर चुके एफ.पी.ओ. को ऋण प्रदान करते हैं तो यह कदम किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

12. <u>फसल बीमा योजना</u> :

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.62 लाख कृषकों को आच्छादित किया गया था, जिसमें से 64 हजार कृषकों को लगभग ₹ 27 करोड़ के बीमा क्लेम का भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2016-17 हेतु कोई भी बीमा क्लेम का दावा अब लम्बित नहीं है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2017-18 के खरीफ सीजन हेतु बीमा क्लेम की प्रक्रिया फरवरी, 2018 तक पूरी कर ली जाएगी।

यह भी संज्ञान में लाया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017 से संबंधित अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है, जिसके अंतर्गत संसूचित फसलों गेहूँ एवं मसूर हेतु दिनांक 01.10.2017 से 31.12.2017 तक सहकारी समितियों, व्यवसायिक, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी बैंकों से स्वीकृत अथवा वितरित ऋण खातों को अनिवार्यत: बीमित किया जाना है एवं क्रियान्वयक अभिकरण को घोषणा पत्र, प्रीमियम डी.डी. / RTGS / NEFT एवं अन्य आवश्यक परिपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15.01.2018 है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2017 से संबंधित अधिसूचना जारी किया जाना अभी प्रक्रियाधीन है।

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 में बीमित कृषकों की सूचना भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **(www.agri-insurance.gov.in)** पर अनिवार्यत: **आधार संख्या सहित upload** करना सुनिश्चित करें, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष से इसे अनिवार्य कर दिया है तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में बीमा क्लेम के निस्तारण में दिक्कत आ सकती है।

13. <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत अद्यतन सूचना के अनुरुप बैंक शाखाओं को 1522 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए गए हैं तथा अभी 1019 ऋण आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता एवं समयबद्ध सीमा में करना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया कि दिसम्बर, 2017 की समाप्ति तक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ऋणों में एन.पी.ए. मात्र 1% है। इस योजना में एन.पी.ए. की न्यूनतम संभावना को देखते हुए उन्होंने बैंकों

को निर्देशित किया कि वे योजनांतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों में उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करने पर विचार करें। सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संज्ञान में लाया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋण खातों में 4% ब्याज अनुदान का प्रावधान है, जिसका अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए।

14. <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> :

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि द्वारा नाबार्ड से आग्रह किया गया कि योजनांतर्गत ऋण स्वीकृत / वितरित करने की अंतिम तिथि चूँकि 31 दिसम्बर, 2017 तक है, अत: अनुदान भुगतान के बजट को बढ़ाया जाए। इस पर मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उत्तराखंड राज्य में डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देय अनुदान राशि हेतु आवंटित ₹ 8.36 करोड़ का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जा चुका है तथा इस संदर्भ में पुन: बजट आवंटन के पश्चात ही अनुदान राशि का भुगतान संभव हो पाएगा।

15. <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> :

संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्र मुख्य रुप से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में लम्बित हैं। उन्होंने बैंक नियंत्रकों से आग्रह किया कि वे योजनांतर्गत अपनी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें। अग्रणी जिला प्रबंधक, रुद्रप्रयाग के संज्ञान में लाया गया कि रुद्रप्रयाग में योजनांतर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित सभी 47 ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण अभी तक लम्बित है, अत: वे उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।

16. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

योजनांतर्गत धीमी प्रगति पर प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा संबंधित विभाग एवं एन.एच.बी. तथा हुडको के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वे योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि इस योजना के तहत ऋण आवेदन पत्र किसी विभाग से बैंकों को उपलब्ध नहीं कराए जाते बल्कि बैंक अपने द्वारा प्रदान किए गए हाऊसिंग लोन के अभ्यर्थी, जो योजना की पात्रता को पूरा करते हैं, को ही योजनांतर्गत कवर करते हैं। संयुक्त सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य में लगभग 15000 परिवारों को योजनांतर्गत चिन्हित किया गया है, जिस पर महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि वे चिन्हित परिवारों की सूची बैंकों के साथ साझा करें, ताकि ऋण हेतु इच्छुक व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके।

17. <u>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</u> :

योजनांतर्गत बैंक शाखाओं को लक्ष्य के सापेक्ष कम ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने पर सदन में उपस्थित समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि वे यथाशीघ्र बैंक शाखाओं को पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

18. <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. सेक्टर में बैंकों द्वारा दर्ज की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्हें निर्देशित किया कि वे इस सेक्टर में और अधिक ऋण प्रदान करें।

19. <u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य **₹ 1896.22 करोड़** के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 के सितम्बर त्रैमास की समाप्ति तक मात्र **₹ 636.19 करोड़** की प्राप्ति को संतोषजनक नहीं बताया गया। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया कि वे योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष वांछित प्रगति दर्ज न करने वाले बैंकों की सूची उन्हें उपलब्ध कराएं, जिससे कि इस विषय को शासन स्तर से संबंधित बैंकों के केंद्रीय कार्यालय तथा वित्त मंत्रालय के संज्ञान में लाया जा सके। इसी अनुक्रम में माननीय वित्त मंत्री महोदय, उत्तराखंड द्वारा कहा गया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरुप अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड एवं भूमि विकास जैसे सिंचाई, कुआं आदि को छोड़ कर कृषि क्षेत्र की अन्य अनुषंगी गतिविधियों के अन्तर्गत प्रदत्त **₹ 10.00 लाख** *तक के* ऋणों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अत: बैंक पात्र कृषि ऋणों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शामिल करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक प्रगति परिलक्षित हो सके।

20. <u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> :

योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1750 के सापेक्ष बैंक शाखाओं को मात्र 35 ऋण आवेदन पत्र ही प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वे लक्ष्य के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को शीघ्र ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अथवा वार्षिक लक्ष्यों में तदनुसार आवश्यक संशोधन किया जाए।

21. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

अपर निदेशक, एम.एस.एम.ई. द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि योजनांतर्गत अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप 4133 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से 1522 आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं। साथ ही स्वीकृत 1378 ऋण आवेदन पत्रों में से मात्र 548 आवेदन पत्रों में बैंकों द्वारा मार्जिन मनी दावा दाखिल किया गया है। प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे लम्बित आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण तथा वितरित ऋण आवेदन पत्रों में मार्जिन मनी दावा तुरंत दाखिल करना सुनिश्चित करें, जिससे कि राज्य को आवंटित मार्जिन मनी का समय पर उपयोग किया जा सके।

22. <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष यथाशीघ्र पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें। साथ ही बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया कि वे वाहन एवं गैर-वाहन श्रेणी में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

सचिव (पर्यटन), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना वर्ष 2002 से राज्य में चल रही है तथा इसके अंतर्गत कुछ खास चयनित क्रियाकलापों हेतु ही ऋण प्रदान किए जाते हैं, जिसके कारण अब नए आवेदक मिलने में कठिनाई आ रही है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि वर्तमान परिवेश के अनुरुप नियमावली में आवश्यक संशोधन करते हुए योजनांतर्गत नये क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाए।

सहायक महाप्रबंघक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन के संज्ञान में लाया गया कि योजनांतर्गत गैर-वाहन ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण में भू-उपयोग परिवर्तन में विलम्ब होने के कारण बैंकों के स्तर पर उनके निस्तारण में देरी होती है। इस क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि ऐसा कोई प्रकरण जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन में अनावश्यक विलम्ब होता है तो इसे उनके संज्ञान में लाया जाए।

23. <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा वांछित प्रगति दर्ज न किए जाने पर उन्हें निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

24. <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :

सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं से संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

<u>श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड</u>

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा की गयी तथा इन पर लिए गए निर्णयों के अनुरुप शासन के संबंधित विभागों, बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों के सापेक्ष 41% की प्राप्ति की चर्चा करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि यद्यपि यह द्वितीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 40% को पूरा करता है परंतु कुछ बैंकों द्वारा इस मानक को प्राप्त नहीं किया गया है। इस

अनुक्रम में उन्होंने अपेक्षा की कि दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक सभी बैंक तृतीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 70% के अनुरुप प्रगति दर्ज करेंगे।

सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात 56% रहने पर संतोष व्यक्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

वित्तीय साक्षरता शिविरों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे और अधिक वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक जनसाधारण तक पहुँच सके।

किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने पर चर्चा करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ₹ 1.00 लाख तक के ऋण 2% ब्याज पर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने शासन तथा बैंकों से अपेक्षा की कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वे कृषि विभाग द्वारा तैयार 8 मुख्य रणनीतियों के अनुरुप समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। इसी अनुक्रम में उन्होंने फसल बीमा योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत क्रमश: मात्र 1.02 लाख तथा 35 हजार कृषकों को आच्छादित किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि फसल बीमा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया एवं कृषि और उद्यान विभाग को निर्देशित किया कि वे कृषकों के बीच फसल बीमा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने में फसल बीमा योजना की महत्ता का जिक्र करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि अधिक से अधिक कृषकों को बीमा आच्छादन के दायरे में लाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से फसल की क्षति होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराया जा सके।

साथ ही माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बैंकों से अपेक्षा की कि वे अपने **CSR (Corporate Social Responsibility)** का लाभ समाज के जरुरतमंद क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में कर सकते हैं। इसी अनुक्रम में उन्होंने कहा कि बैंक अपनी बैंक शाखा के कार्यक्षेत्र में आने वाले विद्मालयों को फर्नीचर आदि उपलब्ध करा सकते हैं एवं इस प्रकार **CSR** का वास्तविक उपयोग परिलक्षित होगा।

बैठक के अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष महोदय के साथ उपस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्यवाही की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत बैंकों में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का जिक्र करते हुए सभी बैंकों से अपेक्षा की कि वे इनका त्वरित निस्तारण करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि आगामी त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. ऑन-लाइन डाटा में उनके द्वारा सही एवं वास्तविक आँकड़े ही वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी बैंक एवं रेखीय विभाग आपस में सामन्जस्य स्थापित कर कार्य करेंगे, जिससे राज्य की आर्थिकी में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की जा सके।

****